रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 1974/फाल्गुन 3, 1895
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 1974/PHALGUNA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)
RESOLUTION

New Delhi, the 22nd February 1974

No. 15-9/73-S.Py.—The Government of India, in its letter No. 18(2)-Tar/72 dated the 17th March, 1972, requested the Tariff Commission to conduct an enquiry into cost structure of sugar and fair price payable to the sugar industry afresh, as the cost schedules and the zones recommended by it in its 1969 Report for the three sugar years (October to September), viz., 1969-70, 1970-71 and 1971-72 were based on data relating to the years 1966-67, and since then there has been a change in the cost structure as a result of the Award of the Second Central Wage Board for sugar industry, and other factors. The Commission has submitted its full and final Report at the end of September, 1973. The recommendations of the Commission in regard to zoning of sugar factories and the cost schedules prepared by it for arriving at the ex-factory prices of sugar have been considered by the Government.

2. The Tariff Commission had recommended the following 15 zones in its 1969 Report, namely:—

1. Punjab
2. Haryana.
3. Rajasthan.
4. West Uttar Pradesh.
5. Central Uttar Pradesh.
6. East Uttar Pradesh.
7. North Bihar.
8. South Bihar.

9. Gujarat.
10. Madhya Pradesh.
11. Maharashtra.
12. Mysore (now Karnataka).
13. Andhra Pradesh.
14. Tamil Nadu & Pondicherry.
15. Orissa, Assam, Kerala and West Bengal.

3. The Commission was informed by the industry that the 15 zones, on the whole, had worked fairly well. However, suggestions were made to the Commission for splitting up some of the zones. After considering them, the Commission decided to recommend only that for reasons of location, climatic conditions and other relevant factors, Kerala should be segregated from the other three States of Orissa, Assam and West Bengal, and constituted into a separate zone making a total of 16 zones. The Government have already revised the ex-factory prices of levy sugar of 1973-74 production with effect from the 15th December, 1973 accepting this recommendation and also adopting the cost schedules prepared by the Tariff Commission (vide Table 20 of the Report).

4. The cost schedules prepared by the Commission are for D-29 grade. For other grades of sugar, including raw sugar, the Tariff Commission has maintained the differentials already fixed by the Government.

5. With regard to return, the Tariff Commission, after considering the various suggestions made to it, has recommended that a return of Rs. 12.60 per quintal of sugar would be a fair one to enable the industry to provide for payment of a reasonable dividend on equity capital and interest charges on borrowings and leave some residue for addition to Reserves. The return refers to sugar as a whole and not to only levy sugar as such or to levy sugar and free sale sugar individually, nor is it intended to refer to individual units. It is intended to apply to the sugar industry, as a whole. The Government of India have accepted this recommendation.

6. The Commission, while indicating that every ½ per cent variation in the interest rate of 10 per cent allowed by it in its cost schedules would call for an adjustment in the price of sugar by 35 paise per quintal, has, however, left it to the discretion of the Government to consider whether having regard to the realisation that the industry may make from its free market sales, it is necessary to allow in the price of sugar the incidence of the increase in the interest charges every time such an increase occurs, and if so, to what extent. The Government have noted this recommendation.

7. The Tariff Commission has also made recommendations on several other matters, relating to price/supplies/development of sugarcane, augmenting of sugar production, assistance for encouraging cultivation of sugar beet and production of beet sugar, economical use of molasses, bagasse etc. These recommendations will be considered in juxtaposition with the recommendations of the Sugar Industry Enquiry Commission, whose final report is expected by the end of February, 1974, and in consultation with the other concerned Departments, State Governments, etc. Decisions on these matters will be taken after such consideration.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

G. C. L. JONEJA, Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1974

सं० 15-9/73-एस० पी० बी०:—भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 18(2)/टैर/72 दिनांक 17 मार्च, 1972 में टैरिफ आयोग से यह अनुरोध किया था कि उन्होंने अपनी 1969 की

रिपोर्ट में तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर से सितम्बर) अर्थात 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के लिए जिन लागत अनुसूचियों और जोनों के बारे में सिफारिश की थी वे 1966–67 के वर्ष के आंकड़ों पर आधारित थी और चीनी उद्योग के लिए दूसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के एवार्ड और अन्य तथ्यों के परिणामस्वरूप तब से लागत ढांचे में परिवर्तन हो गया है, इस लिए चीनी के लागत ढांचे और चीनी उद्योग को देय उचित मूल्य की नये सिरे से जांच की जाए। आयोग ने अपनी पूरी और अन्तिम रिपोर्ट सितम्बर, 1973 के अन्त में प्रस्तुत कर दी है। चीनी फैक्ट्रियों के जोन बनाने और चीनी का निकासी मूल्य निकालने के लिए उनके द्वारा तैयार की गयी लागत अनुसूचियों के बारे में आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है।

2. टैरिफ आयोग ने अपनी 1969 की रिपोर्ट में निम्नलिखित 15 जोनों के बारे में सिफारिश की थी अर्थात :—

(1) पंजाब
(2) हरियाणा
(3) राजस्थान
(4) पश्चिमी उत्तर प्रदेश
(5) मध्य उत्तर प्रदेश
(6) पूर्वी उत्तर प्रदेश
(7) उत्तरी बिहार
(8) दक्षिणी बिहार
(9) गुजरात
(10) मध्यप्रदेश
(11) महाराष्ट्र
(12) मैसूर (अब कर्नाटक)
(14) आन्ध्र प्रदेश
(14) तमिलनाडु तथा पांडिचेरी
(15) उड़ीसा, असम, केरल और पश्चिमी बंगाल

3. आयोग को उद्योग ने सूचित किया था कि 15 जोनों ने, कुल मिलाकर, संतोष जनक ढंग से कार्य किया है तथापि, आयोग को कुछेक जोनों को अलग करने का सुझाव दिया गया था। उन पर विचार करने के बाद आयोग ने यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि स्थिति, जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों और संगत तथ्यों के कारण केरल को उड़ीसा, असम और पश्चिमी बंगाल के तीन राज्यों से अलग कर दिया जाना चाहिए और इसका अलग जोन बना कर जोनों की कुल संख्या 16 की जानी चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए और टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गयी लागत अनुसूचियों (रिपोर्ट की सारणी 20 के अनुसार) को भी अपनाते हुए 15 दिसम्बर, 1973 से 1973-74 के उत्पादन की लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में संशोधन कर दिया है।

4. आयोग द्वारा तैयार की गई लागत अनुसूचियां डी-2 के ग्रेड के लिए है। अन्य ग्रेडों को चीनी के लिए जिस में कच्ची चीनी शामिल है, टैरिफ आयोग ने सरकार द्वारा पहले से निर्धारित अन्तरों को बनाए रखा है।

5. मुनाफे के बारे में, टैरिफ आयोग ने, उन्हे भेजे गए विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की है, कि एक क्विंटल चीनी पर 12.60 रुपये का मनाफा उचित रहेगा जिससे उद्योग ईक्विटी पूंजी पर उचित लाभांश और ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर पायेगा और आरक्षित निधि में वृद्धि के लिए कुछ शेष भी बचेगा। यह मुनाफा समूची चीनी पर है और न कि केवल लेवी चीनी पर या लेवी चीनी या खुले बाजार में बिक्री की चीनी पर अलग-अलग है और यह न हो यह अलग अलग यूनिटों के लिए है। यह समूचे चीनी उद्योग पर लागू होना है। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

6. आयोग ने अपनी लागत अनुसूचियों में अनुमेय 10 प्रतिशत की ब्याज की दर में प्रत्येक 1/2 प्रतिशत की घट-बढ के लिए चीनी के मूल्य में 35 पैसे प्रति क्विन्टल तक समायोजन करने का उल्लेख किया है तथापि, उन्होंने उद्योग को खुले बाजार की बिक्री से होने वाली प्राप्ती, जब कभी भी ब्याज प्रभार में वृद्धि होती है तब प्रत्येक समय ब्याज प्रभार में ऐसी वृद्धि के भार की चीनी के मूल्य में सम्मिलित करना आवश्यक है । और यदि हां तो किस हद तक, पर विचार करने की बात सरकार के विवेक पर छोड दी है । सरकार ने इस सिफारिश को नोट कर लिया है ।

7. टैरिफ आयोग ने गन्ने के मूल्य/सप्लाई/विकास, चीनी का उत्पादन बढाने चुकंदर की खेती और चुकंदर से चीनी के उत्पादन को बढावा देने, सीरे, खोई आदि के किफायती प्रयोग से सम्बन्धित अन्य कई मामलों पर भी सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों पर चीनी उद्योग जांच आयोग की सिफारिशों जिनकी अन्तिम रिपोर्ट, फरवरी 1974 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है, के साथ साथ और अन्य सम्बिधित विभागों, राज्य सरकारों आदि के परामर्श से विचार किया जायेगा । इस विचार विमर्श के बाद इन मामलों पर निर्णय लिए जायेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाय और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जी० सी० एल० जुनेजा, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974